भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority Of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)
कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिलासपुर
Office of Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur
डी-61, एच.आई.जी.- I, अभिलाषा परिसर, नया बस स्टैण्ड के पीछे, तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.)
D-61, HIG-1, Abhilasha Parisar, Behind Hitech Bus Stand, Tifra, Bilspur (C.G.) 495001

दूरभाष : 07752.291604
Phone : 07752-7291604
Email : piubilaspur@nhai.org
Email : piubilaspur@gmail.com
Web : www.nhai.gov.in

भारतमाला
प्रगति के पथ पर अग्रसर

27011/7/2020/प.नि.–बिला./बिला.–उरगा/फॉरेस्ट/ 6057 दिनांक:30.06.2020

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
वनमंडल जांजगीर–चाम्पा,
जिला–जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.)

विषयः–Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conversion Act, 1980 Proposed for The Proposed Project pertains to Development of Development of Economic Corridor to improve the efficiency of freight movement in India under Bharatmala Pariyojana, Bilaspur-Urga section of NH-130A (Raipur-Dhanbad Economic Corridor) which shall start at Junction with NH-130A & NH-130A area 47.552 ha-regarding के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्र क्र. 3414, दिनांक 25.06.2020

महोदया,

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा बिलासपुर–उरगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 130ए के अंतर्गत प्रभावित जिला बिलासपुर एवं जांजगीर–चांपा के अंतर्गत प्रभावित राजस्व/वनभुमि क्रमशः 0.771 हे. एवु 46.1665 हे. कुल 47.552 हे. का व्यापवर्तन का प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर (छ.ग.) को प्रेषित किया जाना हैं।

2. आपके द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से 06 बिन्दुओ की कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को लेख किया गया हैं:–

क्र	आपकी द्वारा चाही गई वांछित जानकारी	भा.रा.रा.प्रा. का अभिमत
1.	प्रस्ताव में संबंधित कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र नही किया गया हैं।	उक्त प्रस्ताव में कलेक्टर अनापत्ति पत्र की कोई आवश्यकता नही हैं क्यूकि उक्त प्रस्ताव में प्रभावित समस्त राजस्व भूमि भारत के राजपत्र दिनांक 08.01.2020, 09.03.2018, 28.09.2018 Under Section (3A) एवं भारत के राजपत्र दिनांक 22.04.2020, 06.09.2018, 01.01.2019 Under Section (3D) द्वारा समस्त विल्लंगमों से मुक्त होकर भारत सरकार में निहित हो चुकी हैं। अतः उक्त भूमि पर वर्तमान में राज्य शासन का कोई अधिकार शेष नही हैं फिर भी इस कार्यालय द्वारा बिलासपुर एवं जांजगीर–चाम्पा, जिला कलेक्टर को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु पूर्व में ही लेख किया जा चुका हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही आपको प्रेषित किया जावेगा।

2.	प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम के तहत् वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया हैं।	इस संबंध में कृपया पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Circular दिनांक 26 फरवारी 2019 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से रेखीय परियोजनाओके प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत वांछित कलेक्टर व ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र Stage –I clearance हेतु आवश्यक नही हैं (MOEF Circular dated 24.02.2019) पुनः संलग्न।
3.	फ्लोरा एवं फौना की जानकारी संलग्न नही हैं।	प्रस्ताव में संलग्न हैं (पुनः संलग्न)।
4.	वन्यप्राणी सं संबंधित बिन्दु क्रमाकं 1 से 27 तक की जानकारी संलग्न नही हैं।	नया चेक लिस्ट 44 बिंदु के अनुसार प्रस्ताव तैयार इस कार्यालय द्वारा 44 बिन्दुओ में प्रस्ताव जमा कराया जा चुका हैं। आपके द्वारा वांछित 27 बिन्दु, जमा किये गये 44 बिन्दुओ में पूर्व में हि सम्मिलित किये जा चुके हैं।
5.	आपके द्वारा वनमंडलाधिकारी का मौका सत्यापन नही कराया गया हैं।	इस संबंध में वनमण्डलाधिकारी द्वारा कोइ दिन नियुत करने का कष्ट करं।
6.	बिलासपुर वनमंडल के क्षेत्र 0.771 हे. के लिए बिन्दु क्रमांक 1 से 44 तक का प्रस्ताव इस कार्यालय में जमा नही किया गया हैं।	वनमंडल अधिकारी, वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा जिला बिलासपुर के अंतर्गत प्रभावित राजस्व/वनभूमि 0.771 हें का प्रस्ताव का संभवतः दिनांक 01.07.2020 को आपके कार्यालय को प्रेषित किया जावेगा।

उपरोक्तानुसार कृपया उक्त प्रस्ताव में कार्यवाही कर मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर (छ.ग.) को प्रस्ताव अविलम्ब प्रेषित करने का कष्ट करें। तदउपरांत जिससे Stage –I clearance की स्वीकृति प्राप्त की जा सकें।

सधन्यवाद्।

भवदीय

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(नरेन्द्र सिंह)
परियोजना निदेशक,
प.का.ई., बिलासपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपिः–
1. क्षेत्रीय अधिकारी, भा.रा.रा.प्रा.,क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. मुख्य वनसंरक्षक (वृत्त), बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं जिला बिलासपुर के अंतर्गत प्रभावित राजस्व/वनभूमि रकवा 0.771 हे. का प्रस्ताव नोडल अधिकारी वनमण्डलाधिकारी चाम्पा को अविलम्व प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. मैसर्स ट्रांसिस कंसलटेंट प्रा. लि. ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी जांजगीर–चाम्पा वनमण्डल, चाम्पा (छ.ग.)
फोन नं. (07819) 245622, फैक्स – 245622 ई–मेल– dfo-jchampa.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./ 3414 चांपा/दिनांक 25/06/2020

प्रति,

Project Director,
National Highway Authority of India PIU, Bilaspur
D-61 HIG-I (Abhilash Parisar)
Behind Hitch Bus Stand, Tifara Bilaspur (C.G.)

विषयः– **Diversion of forst land for non-forest purpose under Forest Convervation Act, 1980 Proposed for The Proposed Project pertains to Development of Development of Economic Corridor to improve the efficiency of freight movement in India under Bharatmala Pariyojana, Bilaspur- Urga section of NH-130A (Raipur- Dhanbad Economic Corridor which shall start at Juction with NH-130 & NH-130A area-47.552 ha- regarding के संबंध में टाईम लाईन प्रस्तुत करने बाबत्।**

संदर्भ – इस कार्यालय का पत्र कमांक/तक./1953 दिनांक 17.03.2020

—''—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि विषयांकित प्रकरण के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्नांकित बिन्दुओं में कमियॉ हैं, जिसे पूर्ण कर अविलंब इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि वरिष्ठ कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जा सके –

1. प्रस्ताव में संबंधित कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं किया गया है।
2. प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम के तहत् वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
3. फ्लोरा एवं फौना की जानकारी संलग्न नहीं है।
4. वन्यप्राणी से संबंधित बिन्दु कमांक 1 से 27 तक की जानकारी संलग्न नहीं है।
5. आपके द्वारा वनमंडलाधिकारी का मौका सत्यापन नहीं कराया गया है।
6. बिलासपुर वनमंडल के क्षेत्र 0.771 हे. के लिए बिन्दु कमांक 1 से 44 तक का प्रस्ताव इस कार्यालय में जमा नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार आपित्तयों का निराकरण कर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

Prepare reply

वनमण्डलाधिकारी
जांजगीर–चाम्पा वनमण्डल

पृ.क्रमांक/तक.अधि./ 3415 चांपा/दिनांक 25/06/2020
प्रतिलिपि – मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त को सूचनार्थ सम्प्रेषित है।

वनमण्डलाधिकारी
जांजगीर–चाम्पा वनमण्डल

File No.11-43/2013-FC

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(FC Division)

Indira Paryavaran Bhawan
Jor Bagh Road, Aliganj
New Delhi-110003

Dated: ~~January~~ 26th February, 2019

To,
The Principal Secretary/Secretary (Forests)
All States/UTs Governments

Sub: Compliance of the Schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006-regarding

Sir,

I am directed to refer to Forest (Conservation) amendment Rules 2016 as amended on 06th March, 2017 wherein inter-alia it has been provided that:

(e) *the District Collector shall*
(i) complete the process of recognition and vesting of forest rights in accordance with the provisions of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) for the entire forest land indicated in the proposal.
(ii) obtain consent of each Gram Sabha having jurisdiction over the whole or a part of the forest land indicated in the proposal for the diversion of such forest land and compensatory and ameliorative measures, if any, having understood the purposes and details of diversion, wherever required; and
(iii) forward his findings in this regard to the Conservator of Forests

(f) the entire process referred to in clause (e) shall be completed by the District Collector within the time period stipulated in these rules for grant of in-principle approval under the Act to the proposal.

(g) the Conservator of Forests shall examine the factual details and feasibility of the proposal, carry out site inspection in case the area of forest land proposed to be diverted is more than forty hectares, and forward the proposal along with his recommendations to the Nodal Office.

I am also directed to refer to references/communications received from various State Governments seeking clarification on whether FRA certificate is to be submitted before Stage-II compliance or it has been submitted along-with proposal for seeking Stage-I approval.

It is clarified that within the time period stipulated for compliance of stage-I

condition, Deputy Commissioner shall complete the process of compliance of FRA (including forwarding its findings to the concerned CF). Hence for the purpose of the MoEF&CC, as per the provision under Forest (Conservation) amendment rules, 2016 the compliance under FRA is not required for consideration of in-principle approval. This has to be furnished by the state Govt. for consideration of the proposal by the ministry for final approval.

In view of the above, the State Governments are requested to adhere the provisions contained in Forest (Conservation) Amendment Rules, 2016 for FRA purpose while forwarding the proposal for seeking prior approval under Section 2 of Forest(Conservation) Act,1980 to this Ministry for consideration.

Yours faithfully,

(Shrawan Kumar Verma)
Dy. Inspector General of Forests

Copy to:

1. Prime Minister's Office
2. Secretary, Ministry of Mines, Government of India
3. Secretary, Ministry of Coal, Government of India
4. Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India
5. Principal Chief Conservator of Forests, all State/UT Governments
6. Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, all State/ UT Governments
7. All Regional Offices, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), GoI.
8. Joint Secretary in-charge, Impact Assessment Division, MoEF&CC, GoI
9. All Assistant Inspector General of Forests/ Directors in the Forest Conservation Division, MoEF&CC, GoI/Director, ROHQ, MoEF&CC, GoI/TO(FC)/TO(RoHQ).
10. Sr. Director (Technical), NIC, MoEF&CC with a request to place a copy of the letter on website of this Ministry.
11. Sr. PPS to the Secretary, MoEF&CC
12. Sr. PPS to the Director General of Forest & Special Secretary, MoEF&CC, GoI
13. Sr. PPS to the Addl. Director General of Forests (Forest Conservation), MoEF&CC, GoI.

Yours faithfully,

(Shrawan Kumar Verma)
Dy. Inspector General of Forests

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority Of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)
कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिलासपुर
Office of Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur
डी-61, एच आई जी-I, अभिलाषा परिसर, नया बस स्टैण्ड के पीछे, तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.)
D-61, HIG-1, Abhilasha Parisar, Behind Hitech Bus Stand, Tifra, Bilspur (C.G.) 495001
दूरभाष : 07752.291604
Phone : 07752-7291604
Email : piubilaspur@nhai.org
Email : piubilaspur@gmail.com
Web : www.nhai.gov.in
भारतमाला

27011/7/2020/प.नि.–बिला./बिला.–उरगा/फॉरेस्ट/6091 दिनांक:03.07.2020

प्रति, **स्मरणपत्र**

1. **वनमण्डलाधिकारी,**
वनमण्डल जांजगीर–चाम्पा,
जिला–जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.)

2. **वनमण्डलाधिकारी,**
वनमण्डल बिलासपुर,
जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

विषयः–बिलासपुर–उरगा रा.रा.संख्या 130ए के अन्तर्गत **प्रस्तावित कि.मी. 0.000 से कि.मी. 70.200 के अन्तर्गत प्रभावित राजस्व/वनभूमि हेतु व्ययपवर्तन प्रस्ताव के संबंध में।**

संदर्भः–इस कार्यालय का पत्र क्र. 6057, दिनांक 30.06.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से इस कार्यालय द्वारा बिन्दु क्रमांक (5) में आपको उक्त परियोजना में प्रभावित वनमण्डल जांजगीर–चाम्पा/बिलासपुर के अन्तर्गत प्रभावित वन/राजस्व वनभूमि का मौका निरीक्षण हेतु समय/तिथि निर्धारित करने हेतु लेख किया गया है।

अतः आपसे पुनः निवेदन है कि अविलम्ब समय/तिथि निर्धारित कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे **प्रभावित राजस्व/वनभूमि हेतु व्ययपवर्तन Stage-I की स्वीकृति प्राप्त किया जा सके।**

कृपया उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

सधन्यवाद।

भवदीय

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

परियोजना निदेशक,
प.का.ई., बिलासपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपिः–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, भा.रा.रा.प्रा. क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर जांजगीर–चाम्पा/बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर, वृत्त बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मैसर्स ट्रासिंस कन्स. डी.पी.आर.सलाहकार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

D:/Documents-Data-Letter Files

[स्वच्छ रहें भारत, स्वच्छ रहें हम]

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority Of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)
कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिलासपुर
Office of Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur
डी-61, एच आई जी-I, अभिलाषा परिसर, नया बस स्टैण्ड के पीछे, तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.)
D-61, HIG-1, Abhilasha Parisar, Behind Hitech Bus Stand, Tifra, Bilspur (C.G.) 495001
दूरभाष : 07752.291604
Phone : 07752-7291604
Email : piubilaspur@nhai.org
Email : piubilaspur@gmail.com
Web : www.nhai.gov.in
भारतमाला

27011/7/2020/प.नि.–बिला./बिला.–उरगा/फॉरेस्ट/6057 दिनांक:30.06.2020

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
वनमंडल जांजगीर–चाम्पा,
जिला–जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.)

विषयः–Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conversion Act, 1980 Proposed for The Proposed Project pertains to Development of Development of Economic Corridor to improve the efficiency of freight movement in India under Bharatmala Pariyojana, Bilaspur-Urga section of NH-130A (Raipur-Dhanbad Economic Corridor) which shall start at Junction with NH-130A & NH-130A area 47.552 ha-regarding के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्र क्र. 3414, दिनांक 25.06.2020

महोदया,

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा बिलासपुर–उरगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 130ए के अंतर्गत प्रभावित जिला बिलासपुर एवं जांजगीर–चांपा के अंतर्गत प्रभावित राजस्व/वनभूमि क्रमशः 0.771 हे. एवु 46.1665 हे. कुल 47.552 हे. का व्यापवर्तन का प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर (छ.ग.) को प्रेषित किया जाना हैं।

2. आपके द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से 06 बिन्दुओ की कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को लेख किया गया हैः–

क्र	आपकी द्वारा चाही गई वांछित जानकारी	भा.रा.रा.प्रा. का अभिमत
1.	प्रस्ताव में संबंधित कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र नही किया गया हैं।	उक्त प्रस्ताव में कलेक्टर अनापत्ति पत्र की कोई आवश्यकता नही हैं क्यूंकि उक्त प्रस्ताव में प्रभावित समस्त राजस्व भूमि भारत के राजपत्र दिनांक 08.01.2020, 09.03.2018, 28.09.2018 Under Section (3A) एवं भारत के राजपत्र दिनांक 22.04.2020, 06.09.2018, 01.01.2019 Under Section (3D) द्वारा समस्त विल्लंगमों से मुक्त होकर भारत सरकार में निहित हो चुकी हैं। अतः उक्त भूमि पर वर्तमान में राज्य शासन का कोई अधिकार शेष नही हैं फिर भी इस कार्यालय द्वारा बिलासपुर एवं जांजगीर–चाम्पा, जिला कलेक्टर को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु पूर्व में ही लेख किया जा चुका हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही आपको प्रेषित किया जावेगा।

2.	प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम के तहत् वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया हैं।	इस संबंध में कृपया पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Circular दिनांक 26 फरवारी 2019 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से रेखीय परियोजनाओके प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत वांछित कलेक्टर व ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र Stage –I clearance हेतु आवश्यक नही हैं (MOEF Circular dated 24.02.2019) पुनः संलग्न।
3.	फ्लोरा एवं फौना की जानकारी संलग्न नही हैं।	प्रस्ताव में संलग्न हैं (पुनः संलग्न)।
4.	वन्यप्राणी सं संबंधित बिन्दु क्रमाकं 1 से 27 तक की जानकारी संलग्न नही हैं।	नया चेक लिस्ट 44 बिंदु के अनुसार प्रस्ताव तैयार इस कार्यालय द्वारा 44 बिन्दुओ में प्रस्ताव जमा कराया जा चुका हैं। आपके द्वारा वांछित 27 बिन्दु, जमा किये गये 44 बिन्दुओ में पूर्व में हि सम्मिलित किये जा चुके हैं।
5.	आपके द्वारा वनमंडलाधिकारी का मौका सत्यापन नही कराया गया हैं।	इस संबंध में वनमण्डलाधिकारी द्वारा कोइ दिन नियुत करने का कष्ट करं।
6.	बिलासपुर वनमंडल के क्षेत्र 0.771 हे. के लिए बिन्दु क्रमांक 1 से 44 तक का प्रस्ताव इस कार्यालय में जमा नही किया गया हैं।	वनमंडल अधिकारी, वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा जिला बिलासपुर के अंतर्गत प्रभावित राजस्व/वनभूमि 0.771 हें का प्रस्ताव का संभवतः दिनांक 01.07.2020 को आपके कार्यालय को प्रेषित किया जावेगा।

उपरोक्तानुसार कृपया उक्त प्रस्ताव में कार्यवाही कर मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर (छ.ग.) को प्रस्ताव अविलम्ब प्रेषित करने का कष्ट करें। तदउपरांत जिससे Stage –I clearance की स्वीकृति प्राप्त की जा सकें।

सधन्यवाद।

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(नरेन्द्र सिंह)
परियोजना निदेशक,
प.का.ई., बिलासपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपिः–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, भा.रा.रा.प्रा.,क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. मुख्य वनसंरक्षक (वृत्त), बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं जिला बिलासपुर के अंतर्गत प्रभावित राजस्व/वनभूमि रकवा 0.771 हे. का प्रस्ताव नोडल अधिकारी वनमण्डलाधिकारी चाम्पा को अविलम्व प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. मैसर्स ट्रांसिस कंसलटेंट प्रा. लि. ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी जांजगीर–चाम्पा वनमण्डल, चाम्पा (छ.ग.)

फोन नं. (07819) 245622, फैक्स – 245622 ई–मेल– dfo-jchampa.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./ 3414 चांपा/दिनांक 25/06/2020

प्रति,

Project Director,
National Highway Authority of India PIU, Bilaspur
D-61 HIG-I (Abhilash Parisar)
Behind Hitch Bus Stand, Tifara Bilaspur (C.G.)

विषयः– **Diversion of forst land for non-forest purpose under Forest Convervation Act, 1980 Proposed for The Proposed Project pertains to Development of Development of Economic Corridor to improve the efficiency of freight movement in India under Bharatmala Pariyojana, Bilaspur- Urga section of NH-130A (Raipur- Dhanbad Economic Corridor which shall start at Juction with NH-130 & NH-130A area-47.552 ha- regarding** के संबंध में टाईम लाईन प्रस्तुत करने बाबत्।

संदर्भ – इस कार्यालय का पत्र कमांक/तक./1953 दिनांक 17.03.2020

—"—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि विषयांकित प्रकरण के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्नांकित बिन्दुओं में कमियॉ हैं, जिसे पूर्ण कर अविलंब इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि वरिष्ठ कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जा सके –

1. प्रस्ताव में संबंधित कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं किया गया है।
2. प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम के तहत् वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
3. फ्लोरा एवं फौना की जानकारी संलग्न नहीं है।
4. वन्यप्राणी से संबंधित बिन्दु कमांक 1 से 27 तक की जानकारी संलग्न नहीं है।
5. आपके द्वारा वनमंडलाधिकारी का मौका सत्यापन नहीं कराया गया है।
6. बिलासपुर वनमंडल के क्षेत्र 0.771 हे. के लिए बिन्दु कमांक 1 से 44 तक का प्रस्ताव इस कार्यालय में जमा नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार आपित्तयों का निराकरण कर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

Prepare reply

वनमण्डलाधिकारी
जांजगीर–चाम्पा वनमण्डल

पृ.क्रमांक/तक.अधि./ 3415 चांपा/दिनांक 25/06/2020

प्रतिलिपि – मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त को सूचनार्थ सम्प्रेषित है।

वनमण्डलाधिकारी
जांजगीर–चाम्पा वनमण्डल

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(FC Division)

Indira Paryavaran Bhawan
Jor Bagh Road, Aliganj
New Delhi-110003

Dated: ~~January~~ 28th February, 2019

To,

The Principal Secretary/Secretary (Forests)
All States/UTs Governments

Sub: Compliance of the Schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006-regarding

Sir,

I am directed to refer to Forest (Conservation) amendment Rules 2016 as amended on 06th March, 2017 wherein inter-alia it has been provided that:

(e) the District Collector shall

(i) complete the process of recognition and vesting of forest rights in accordance with the provisions of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) for the entire forest land indicated in the proposal.

(ii) obtain consent of each Gram Sabha having jurisdiction over the whole or a part of the forest land indicated in the proposal for the diversion of such forest land and compensatory and ameliorative measures, if any, having understood the purposes and details of diversion, wherever required; and

(iii) forward his findings in this regard to the Conservator of Forests

(f) the entire process referred to in clause (e) shall be completed by the District Collector within the time period stipulated in these rules for grant of in-principle approval under the Act to the proposal.

(g) the Conservator of Forests shall examine the factual details and feasibility of the proposal, carry out site inspection in case the area of forest land proposed to be diverted is more than forty hectares, and forward the proposal along with his recommendations to the Nodal Office.

I am also directed to refer to references/communications received from various State Governments seeking clarification on whether FRA certificate is to be submitted before Stage-II compliance or it has been submitted along-with proposal for seeking Stage-I approval.

It is clarified that within the time period stipulated for compliance of stage-I

130

condition, Deputy Commissioner shall complete the process of compliance of FRA (including forwarding its findings to the concerned CF). Hence for the purpose of the MoEF&CC, as per the provision under Forest (Conservation) amendment rules, 2016 the compliance under FRA is not required for consideration of in-principle approval. This has to be furnished by the state Govt. for consideration of the proposal by the ministry for final approval.

In view of the above, the State Governments are requested to adhere the provisions contained in Forest (Conservation) Amendment Rules, 2016 for FRA purpose while forwarding the proposal for seeking prior approval under Section 2 of Forest(Conservation) Act,1980 to this Ministry for consideration.

Yours faithfully,

(Shrawan Kumar Verma)
Dy. Inspector General of Forests

Copy to:

1. Prime Minister's Office
2. Secretary, Ministry of Mines, Government of India
3. Secretary, Ministry of Coal, Government of India
4. Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India
5. Principal Chief Conservator of Forests, all State/UT Governments
6. Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, all State/ UT Governments
7. All Regional Offices, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), GoI.
8. Joint Secretary in-charge, Impact Assessment Division, MoEF&CC, GoI
9. All Assistant Inspector General of Forests/ Directors in the Forest Conservation Division, MoEF&CC, GoI/Director, ROHQ, MoEF&CC, GoI/TO(FC)/TO(RoHQ).
10. Sr. Director (Technical), NIC, MoEF&CC with a request to place a copy of the letter on website of this Ministry.
11. Sr. PPS to the Secretary, MoEF&CC
12. Sr. PPS to the Director General of Forest & Special Secretary, MoEF&CC, GoI
13. Sr. PPS to the Addl. Director General of Forests (Forest Conservation), MoEF&CC, GoI.

Yours faithfully,

(Shrawan Kumar Verma)
Dy. Inspector General of Forests

O/C

13/3/19